# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग–05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार,दिनांक–..... 20 फाल्गुन,1943(श०) को 11 मार्च,2022(ई०)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

| कमांक | विभागों को भेजी गई सां०सं | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागो भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 122 | अ०सू०–24 | डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता | वास्तविक लाभ दिलाना। | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार | 25/02/22 |
| 123 | अ०सू०–39 | डॉ० नीरा यादव | मुआवजा देने। | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार | 03/03/22 |
| 124 | अ०सू०–17 | श्री प्रदीप यादव | परेशानियों को दूर करना। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 25/02/22 |
| 125 | अ०सू०–31 | डॉ० लम्बोदर महतो | शराब बंदी। | उत्पाद एवं मद्य निषेध | 27/02/22 |
| 126 | अ०सू०–40 | श्री निरल पुरती | ए०एन०एम०की नियुक्ति। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 03/03/22 |
| 127 | अ०सू०–43 | श्री सुदेश कु० महतो | नियमितिकरण करना। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 06/03/22 |
| 128 | अ०सू०–42 | श्री राज सिन्हा | स्वामित्व योजना। | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार | 04/03/22 |
| 129 | अ०सू०–21 | डॉ० लम्बोदर महतो | मुआवजा का भूगतान। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 25/02/22 |
| 130 | अ०सू०–41 | श्री सुदिव्य कुमार | मेडिकल कॉलेज की स्थापना। | स्वा०चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 30/03/22 |

कृ०पृ०उ०.....

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 131- | अ०सू०-47 | श्री राज सिन्हा | वर्कशॉप का लाभ। | श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | 06/03/22 |
| 132- | अ०सू०-50 | श्री जय प्रकाश भाई पटेल | राजस्व की वसूली | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार | 06/03/22 |
| 133- | अ०सू०-37 | श्री मनीष जयसवाल | अधिनियम का लाभ | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 03/03/22 |
| 134- | अ०सू०-32 | श्री राजेश कच्छप | रिकॉड की उपलब्धता । | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार | 27/02/22 |
| 135- | अ०सू०-49 | श्री अमित कुमार मंडल | स्थायी नियुक्ति | राजस्व निबंधन एवं भूमि संधार | 06/03/22 |
| 136- | अ०सू०-38 | श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा | टेकनिशियन की नियुक्ति। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 03/03/22 |
| 137- | अ०सू०-04 | श्री बिरंची नारायण | एडभोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। | विधि | 25/02/22 |
| 138- | अ०सू०-03 | श्री विनोद कुमार सिंह | अग्रिम भुगतान | श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | 17/02/22 |
| 139- | अ०सू०-30 | श्री राजेश कच्छप | अधिनियम बनाना | राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार | 25/02/22 |
| 140- | अ०सू०-36 | श्री सरयु राय | कार्रवाई करना | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 01/03/22 |
| 141- | अ०सू०-05 | श्री बिरंची नारायण | औषधि विक्रय केन्द्र खोलना। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 25/02/22 |
| 142- | अ०सू०-25 | डॉ० इरफान अंसारी | एम्बुलेन्स बढाना | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 25/02/22 |
| 143- | अ०सू०-19 | श्री समीर कुमार मोहन्ती | कर्मियो की बहाली | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 25/02/22 |
| 144- | अ०सू०-12 | डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता | पृथक विभाग बनाना। | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण | 25/02/22 |

रॉंची,
दिनांक-11 मार्च,2022

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-...1091.....वि0स0,राँची,दिनांक-...08/03/22...

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

08.03.22

(महेश नारायण सिंह)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-...1091.....वि0स0,राँची,दिनांक-...08/03/22...

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

08.03.22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-06/2020-...1091.....वि0स0,राँची,दिनांक-...08/03/22...

प्रतिः- कार्यवाही शाखा बेवसाईट शाखा, जे0भीएस0 टी0भी शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

08.03.22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

पाण्डेय/-

08/03/22

**डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–24 का प्रश्नोत्तर :–**

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० | माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1 | क्या यह बात सही है कि राईट टू सर्विस के तहत अंचल कार्यालयों में दाखिल–खारिज करने के लिए एक तय समय सीमा होती है तथा म्यूटेशन के मामलों के त्वरित निष्पादन का प्रावधान है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि केवल राजधानी राँची के 23 अंचलों में 2.77 लाख दाखिल आवेदन में 1.49 लाख आवेदन खारिज कर दिये गये है जबकि 10,000 आवेदन राँची में लंबित है तथा पूरे राज्य में 68,000 के करीब आवेदन पेंडिंग है; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि रैयतों एवं जमीन खरीदारों के आर्थिक दोहन करने के उद्देश्य से म्यूटेशन के मामलों को लंबित रखने के बजाय आवेदन को ही रद्द कर दिया जा रहा है, | अस्वीकारात्मक।<br>राँची जिला अन्तर्गत सभी अंचलों में दाखिल–खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में काफी विलम्ब, बिना किसी समुचित आधार एवं स्थानीय जाँच के आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने के संदर्भ में जाँच हेतु कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची का आदेश संख्या–451, दिनांक–22.02.2022 द्वारा एक टीम गठित की गयी है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दाखिल–खारिज की प्रक्रिया को जटिल बनाकर लोगों का आर्थिक दोहन करने वाले दोषी पदाधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने तथा आम जनता को राईट टू सर्विस का वास्तविक लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | विभागीय पत्रांक–1039, दिनांक–04.03.2021 द्वारा दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन नियत समय–सीमा पर नहीं किये जाने पर झारखण्ड सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा–07 एवं धारा–08 में निहित प्रावधानों के तहत दोषी पदाधिकारियों पर जुर्माना/अर्थदण्ड लगाने का निदेश निर्गत किया गया है। |

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि०स०– (अ०सू०)–77/2022...824/रा०, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–483/वि०स०, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के उप सचिव।

F:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

123

डॉ नीरा यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–39 का प्रश्नोत्तर।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | डॉ नीरा यादव, माननीय स0वि0स0 | माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1 | क्या यह बात सही है कि 37 वर्ष पूर्व केशो जलाशय योजना का एकीकृत बिहार के समय त्तकालीन मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा किया गया था, जो अपूर्ण है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित परियोजना से कोडरमा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम–बॉसडीह, निमाडीह, सोनेडीह, डेब्बा, केलाखंडहर, बच्छेडीह, मसमोहना, कुडींधनवार, कटाही, बिराजपुर, करीखोखो, भगतियाडीह, कोन्ड्राही, नगरितो तथा टुडमी इत्यादी ग्रामों के सैकडों लोग विस्थापित हुए थे, जिसे आजतक उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हो पायी है; | केशो जलाशय योजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के समय जलाशय के डुबक्षेत्र में कोई घर नहीं था। ऐसे में किसी को कोई विस्थापन संबंधी अनुदान नहीं दिया गया था। वर्त्तमान में कुल 13 किसानो द्वारा विस्थपन लाभ के लिए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची परिवाद दायर किया गया है।<br>दायर परिवाद में अंकित तथ्यों के संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी, डोमचाँच से आवश्यक सूचना (डूब क्षेत्र में अधिग्रहण के उपरान्त कितनी सिंचित/असिंचित भूमि उनके पास शेष रह गया है) उपलब्ध कराने के उपरान्त विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा निर्णय आदेश प्राप्त होने के उपरान्त विस्थापन लाभ देने संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित परियोजना के छः–सात दशक बाद से विस्थापित द्वारा 5 वर्ष पूर्व तक रैयतो द्वारा उक्त जमीन पर जोत आबात करते हुए मालगुजारी रसीद कटवाने के साथ–साथ रजिस्ट्री के माध्यम से खरीद–बिक्री भी कर रहे थे; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>इस संबंध में उपायुक्त, कोडरमा को जाँच करने हेतु निदेश दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित परियोजना से विस्थापितों को उचित मुआवजा व अन्यान्य सुविधाएँ अविलम्ब अपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपयुक्त कंडिका–02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–40/2022.....191/64 राँची, दिनांक–.....10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–900/वि0स0, दिनांक–0.3.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

सरकार के अवर सचिव।

F:\Narendra sir\vidhan sabha 8A (Vikrant)

124

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–17 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि सी0एम0सी0, वेल्लोर (तामिलनाडू) एवं राज्य के प्रमुख निजी अस्पताल यथाः–राँची मेडिका, मेदान्ता, पल्स आदि अस्पतालों का सर्जरी संबंधी ईलाज एवं अन्य कई रोगों के ईलाज के लिए आयुष्मान योजना के तहत निबंधन न होने के कारण गरीब लोगों को परेशानियों से जुझना पड़ रहा है (प्रभात खबर, दिनांक–18.12.2021) ; | राज्य में कुल 831 सरकारी एवं निजी अस्पताल योजनान्तर्गत सूचीबद्ध है एवं गरीब व्यक्तियों को ईलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसमें हर माह लगभग 25 से 30 करोड़ रूपये का भुगतान योजनान्तर्गत किया जा रहा है।<br>वर्णित निजी अस्पताल National Health Authority के Hospital Empanelment Module पोर्टल के माध्यम से आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अस्पताल में सभी Speciality के साथ जोड़े जाने की प्रक्रिया की जाती है। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कोई ठोस पहल कर इन परेशानियों को दूर करना चाहती है, हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों ? | उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है। |

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0–09–04/2022 35(4) राँची, दिनांक–10.03.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–471 वि0 स0 दिनांक–24.02.2022 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/22

(आनन्द कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0–09–04/2022 35(4) राँची, दिनांक– 10.03.2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/22

सरकार के अवर सचिव

125

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0 31 का उत्तर

| क्र0 | प्रश्नकर्त्ता– डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 | उत्तरदाता– माननीय मंत्री श्री जगरनाथ महतो |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान शराब के जरिए बढोतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एम0 ओ0 यू0 किया है, चूँकि शराब की अत्यधिक बिक्री से जान–माल को काफी नुकसान होगा: | उत्तर अस्वीकारात्मक है।<br>उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के हितार्थ विभागीय संकल्प संख्या 121 दिनांक 22.01.2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं JSBCL का परामर्शी एजेन्सी मनोनित किया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि मद्यपान का सबसे दुष्प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है तथा पारिवारिक, सामाजिक, कलह/हिंसा/ द्वेष एवं आपराधिक गतिविधियाँ को बढ़ावा देने में मद्यपान अहम भूमिका निभा रहा है: | उत्तर अस्वीकारात्मक है।<br>राज्य सरकार मदिरापान से उद्भुत समस्याओं से पूर्णरूपेण अवगत है एवं राज्य सरकार सदैव स्वप्रेरित मद्य निषेध हेतु आम जनता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपनी नीतियाँ बनाती है। इसके अतिरिक्त अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य के सभी जिलों में उत्पाद एवं पुलिस विभाग के द्वारा छापामारी अभियान चलाया जाता है। वर्ष 2021–22 तक माह फरवरी, 2022 तक 7422 अभियोग दर्ज किये गये हैं एवं रू0 1,53,48,825/– (एक करोड़ तिरपन लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पच्चीस रूपये) संधान शुल्क भी वसूला गया है। मदिरापान को रोकने के लिए मदिरा के प्रत्येक बोतलों पर चिपकाये जाने वाले लेबलों पर बड़े–बड़े लाल अक्षरों में यह अंकित किया जाता है कि ''मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।'' मद्य निषेध हेतु आमजनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में ग्राम पंचायत अंतर्गत ''नशामुक्त ग्राम'' घोषित करने हेतु नीति निर्देश, सिद्धांत एवं प्रक्रिया निर्धारित है। इस योजना के तहत वैसे ग्राम, जो पूर्णतः नशामुक्त हो चुके हैं, उन गांवों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं उन गांवों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए राज्य सरकार एक लाख रूपये का पुरस्कार देती है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य की जनता के हित में पूरे राज्य में पूर्ण शराब बंदी लागू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? | उत्तर अस्वीकारात्मक है।<br>उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट किया जाना है कि राजस्व एवं राज्य हित में झारखण्ड राज्य में पूर्ण शराबबंदी की वर्त्तमान में सरकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। |

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक– 04/विधायी–04–30/2022(उ0)–**462** राँची दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र॰–720/वि0स0 दिनांक– 27.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.2022
सरकार के उप सचिव।

(176) 11/3/2022

## श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा गया अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–40 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के अस्पतालों में संविदा के आधार पर महिला स्वस्थ्यकर्मी (ANM) कार्यरत है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ANM) विगत 10 वर्षों से कार्यरत है ; | स्वीकारात्मक।<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत कुल 3216 महिला स्वास्थ्य कर्मी (ANM) 10 वर्षों से कार्यरत है तथा 1437 महिला स्वास्थ्य कर्मी (ANM) का कार्यावधि 10 वर्ष से कम है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संविदा पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी (ANM) की नियुक्ति करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | वर्ष 2019 में ए0एन0एम0 के कुल 1985 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग का कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से भेजी गयी थी।<br>कार्मिक विभागीय पत्रांक 8067 दिनांक 24.11.2021 द्वारा पूर्व के नियमावली में संशोधन कर अधियाचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।<br>संशोधित नियमावली हेतु संचिका कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पृष्ठांकित की गयी है। संशोधित नियमावली मंत्रिपरिषद् से स्वीकृत होने के पश्चात् पुनः नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी जायेगी। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 15 / वि0स0–07–27 / 2022-156 (15) राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–893 वि0स0, दिनांक 03.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.2022
सरकार के संयुक्त सचिव।

**श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–11.03..2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–42 का प्रश्नोत्तर।**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0** | **प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वामित्व योजना के तहत् 2020–21 से अबतक 200 से अधिक गाँवों में सर्वे संबंधी काम पूरे किये जा चुके है, | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।<br>भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय की SURVEY OF VILLAGES AND MAPPING WITH IMPROVISED TECHNOLOGY IN VILLAGE AREAS (SVAMITVA) योजना को झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत पाईलट प्रोजेक्ट के तहत् खूँटी जिला के कर्रा अंचल से प्रारंभ किया गया तथा इसके सभी 178 राजस्व मौजों एवं तोरपा अंचल के 95 राजस्व मौजों में से 64 राजस्व मौजों में ड्रोन फ्लाई द्वारा सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि स्वामित्व योजना के तहत् फलाईंग ड्रोन के जरिये जिन–जिन जिलों और गाँवों में सर्वे संबंधी काम पूरे किये जा चुके है, वहाँ एक भी ग्रामीण को प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड आवंटित नहीं किया जा सका है, | वस्तुस्थिति यह है कि SVAMITVA योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्रामों के कास्तकारों को अभिधारी खाता पुस्तिका उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्शानुसार कास्तकारों की पूरी जानकारी, उनके जमीन की चौहदी आदि का विवरण अभिधारी पुस्तिका में अंकित किया जाना है। अतएव बिहार Tenants Holding (Maintenance of Record) Rules 1976 के तहत् खाता पुस्तिका फारम संख्या–30 (नियम–37, धारा–20) में आवश्यक संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उक्त कार्रवाई के उपरांत अभिधारी खाता पुस्तिका का वितरण कास्तकारों को किया जायेगा। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने का विचार रखती है, हॉ तो कबतक नहीं तो क्यों ? | कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**
**( भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)**

ज्ञापांक–02/भू0अ0प0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–23/2022....149/रा0 राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–955/वि0स0, दिनांक–04.03. 2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.03.2022
सरकार के अवर सचिव।

F:\Archana\ vidhan sabha Sec2 *(Vikrant)*

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि कोविड–19 के कारण पूरे राज्य में अधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या–5315 है जबकि कोविड–19 से मरने वाले लोगों की वास्तविक संख्या इससे कई गुना ज्यादा है; | प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–09.03.2022 तक कोविड–19 से मृत व्यक्तियों की कुल संख्या–5596 है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोरोना से मृत व्यक्ति के परिवारों को मुआवजा 50 हजार रूपये के दर से दिया जाना है तथा अब तक बहुत कम लोगों को मुआवजा राशि वितरण किया गया है; | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के निर्गत पत्रांक–61 (अनु0) दिनांक–08.12.2021 के द्वारा कोविड–19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों/आश्रितों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से रू0 50,000/– की दर से मुआवजा भुगतान करने का आदेश निर्गत है। आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–09.03.2022 तक कोविड–19 से मृत व्यक्तियों की कुल संख्या–5596 के विरूद्ध 3840 आवेदनों का निस्तारण करते हुए कुल रू0–19,20,00,000 (उन्नीस करोड़ बीस लाख रूपये) मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्संबंधी व्योरा देने तथा कोविड–19 से सभी मृतकों के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ? | उपर्युक्त खण्डों में उत्तर स्पष्ट कर दिया गया है। |

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न (अ0सू0)–03/2022 37(08) राँची, दिनांक– 10-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०–477 वि0 स0 दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

10.3.2022

(मनोज कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(130)

**श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–स–41 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्रं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के निमित्त उपायुक्त गिरिडीह द्वारा मौजा योगिटांड में कुल रकबा 20 एकड़ तथा मौजा महेशलुण्डी में कुल रकबा 05.00 एकड़ कुल 25 एकड़ चिन्हित भूमि जो सी0सी0एल0 गिरिडीह के क्षेत्रान्तर्गत आता है, का अनापत्ति प्रमाण पत्र की माँग विभाग द्वारा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची से की गई है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त चिन्हित भूमि का वर्त्तमान समय तक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई लंबित है ; | उक्त चिन्हित भूमि पर नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सी0सी0एल0, दरभंगा हाउस, राँची द्वारा सहमति देते हुए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से NOC हेतु अनुरोध किया गया है।<br><br>उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के आदेश–सह–ज्ञापांक–2331 दिनांक–21.10.2021 के द्वारा निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये निदेश से प्रभावित होने के शर्त्त के साथ दी गयी है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई एवं डीपीआर तैयार कराते हुए गिरिडीह जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना संबंधी समुचित कार्रवाई की जायेगी। |

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–03/2022...107(9) राँची, दिनांक– 10/3/22

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–894 वि0स0, दिनांक 03.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.22

सरकार के अवर सचिव।

(13)

415
09/03/22

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–47 का उत्तर सामग्री।

| क्र0 | प्रश्नकर्त्ता<br>श्री राज सिन्हा,<br>माननीय सदस्य, विधान सभा। | उत्तरदाता<br>सत्यानन्द भोक्ता<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,<br>झारखण्ड सरकार। |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राज्य में 60 आई०टी०आई० संस्थान है और इनमें से 6 में ही प्राचार्य है; | **उत्तर – स्वीकारात्मक है।** |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि सभी सरकारी आई०टी०आई० में हर साल 5000 छात्रों का नामांकन होता है, पर प्राचार्य और 750 से अधिक अनुदेशकों की कमी के चलते तरीके से कक्षाओं में पढ़ाई और वर्कशॉप का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है; | **उत्तर – आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** |
| 3 | क्या यह बात सही है, कि आई0टी0आई0 संस्थानों में डीजीटी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है और न ही उसके अनुरूप आईटी0आई0 भवन बनाये जा रहे है; | **उत्तर – अस्वीकारात्मक है।** |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस संबंध में सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण नियमावली, 2021 (जिनके माध्यम से प्राचार्य की नियुक्ति होनी है) के अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।<br>औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण अधिकारियों (अनुदेशकों) की नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग भेजी जा चुकी है। |

09/03/2022
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–27 / 2022श्र0नि0– 415 राँची, दिनांक– 09/03/22

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का ज्ञापांक–1013, दिनांक–06.03.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/2022

सरकार के अवर सचिव।

(132)

**श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03..2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–50 का प्रश्नोत्तर।**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0** | **माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में टाटा कम्पनी बी0सी0सी0एल0, सी0सी0एल0 इत्यादि औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा रैयती, गैरमजरूआ एवं अन्य सरकारी भूमि का अधिग्रहण होता आ रहा है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>भारत सरकार के उपक्रम BCCL, CCL इत्यादि का भूमि अधिग्रहण CBA Act 1957, तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों हेतु भूमि का अधिग्रहण भू–अर्जन अधिनियम–1894 एवं RFCTLARR Act 2013 के अंतर्गत किया जाता है।<br>गैरमजरूआ भूमि का हस्तांतरण सरकार के द्वारा समय--समय पर निर्गत संकल्प के आधार पर किया जाता है। जिसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति ली जाती है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि भूमि के उपयोग के बदले संबंधित भूस्वामियों द्वारा भूमि का लगान सरकार के निर्धारित दर पर नियमित भुगतान की जाती है। जो राज्य सरकार का एक बड़ा आय का श्रोत है; | प्रश्न स्पष्ट नहीं है।<br>औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि का लगान निर्धारण का प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण के समय झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली–2015 के नियम–4(1) के तहत् आकस्मिकता प्रभार के साथ भूमि का आगामी 25 वर्षो का लगान एवं सेस का भुगतान किया जाता है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि का आज तक (वर्ष–2021–22) तक संबंधित औद्योगिक घरानों एवं कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि का राजस्व भुगतान नहीं किया जाता है; | उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे राज्य में औद्योगिक इकाईयों द्वारा अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित भूमि का आज तक का कुल भू–राजस्व वसूल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**

**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांक–08 ए0/भू0अ0नि0, वि0स0 (अ0सू0)–43/2022..190/रा0 राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–1017/वि0स0, दिनांक–06.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

सरकार के अवर सचिव।

F:\Narendra sir\vidhan sabha 8A (Vikrant)

(133)

**श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–37 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग सहित सभी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्ष 2007 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन परियोजना के तहत् सरकार लगभग 50 हजार लोगों को विभिन्न पदों जैसे पारा मेडिकल कर्मी, नर्स ए0एन0एम0–जी0एन0एम0, लैब तकनिकी सहित कई अन्य पदों पर संविदा पर नियुक्त कर सेवा ले रही है ; | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के RoP में अनुबंध आधारित कुल 17063 पद स्वीकृत है, जिनके विरूद्ध 11458 कर्मी अनुबंध पर कार्यरत है। |
| 2. | क्या यह बात सही है, कि खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों से सरकार निरन्तर सेवा ले रही है परन्तु उक्त कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 अन्तर्गत मिलने वाली लाभ से अबतक वंचित रखी है जबकि देश के सभी राज्य में नियोजित सभी कर्मियों को उक्त अधिनियम का लाभ देना अनिवार्य है ; | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएँ यथा–EPF, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, महिलाओं के लिए प्रति महीना दो दिन का स्पेशल अवकाश आदि की सुविधा प्रदान की जा रही है। |
| 3. | क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना योजना अन्तर्गत नियुक्त राज्य के सभी पारा शिक्षकों की सरकार द्वारा वेतन वृद्धि करते हुए उक्त शिक्षको की सेवा 60 वर्ष तथा खण्ड–01 में वर्णित अधिनियम का लाभ निर्धारित की गई है ; | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 853 दिनांक 09.03.2022 द्वारा बताया गया है कि अधिसूचना सं० 238 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा पारा शिक्षकों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक लेने का प्रावधान किया गया है।<br>शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित एवं इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 50 प्रतिशत वृद्धि तथा शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षक, जो JTET उत्तीर्ण नहीं है, उनके मानदेय में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, एवं अन्य लाभ भी दिये गये है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित कर्मियों की सेवा खण्ड–03 में वर्णित शिक्षकों के देय सुविधा की तर्ज पर करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके स्वरूप में बदलाव भारत सरकार की सहमति से ही संभव है।<br>अतः वर्त्तमान में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–08/2022...50 (21) राँची, दिनांक–10-3-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 892 वि0स0 दिनांक 03.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2022

सरकार के अपर सचिव

**श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–32 का प्रश्नोंत्तरः–**

| क्रं0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 | माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में Land Records की Online Register-II तैयार किया गया है; | स्वीकारात्मक |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–I में वर्णित Register-II में कई विसंगतियाँ है जिसके कारण अनेक रैयतों के प्लॉट शून्य अंकित कर दिया गया है; | आंशिक स्वीकारात्मक |
| 3 | क्या यह बात सही है कि Online Register –II में अनेकों रैयतों के नाम में त्रुटि की गई है; | आंशिक स्वीकारात्मक |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भू–अभिलेखों में अपेक्षित/वांछित सुधार कर जनता को त्रुटि शून्य Records उपलब्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों? | I. रैयतो से प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचलों में उपलब्ध कागजात से जांचोपरान्त प्राथमिकता के आधार पर त्रुटि सुधार का कार्य अंचल कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष के 365 दिन पोर्टल खुला रखा गया है।<br><br>II. रैयतो द्वारा त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाईन आवेदन दर्ज किया जा सकें इसके लिए Public Grievance Monitoring System (PGMS) झारभूमि पोर्टल पर क्रियान्वित है, जिसके अंतर्गत रैयतों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के आलोक में अंचल कार्यालय द्वारा त्रुटि सुधार का कार्य किया जा रहा है।<br>Public Grievance Monitoring System (PGMS) को और भी प्रभावी बनाने हेतु इसे Upgrade कर इसके Second Version को NIC द्वारा Develop किया जा रहा है ताकि तकनीकी समस्या एवं भू–अभिलेखों की त्रुटि का निराकरण शीघ्र किया जा सकें। |

**झारखण्ड सरकार**
**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग**
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक– 01/निदे0अभि0, वि0स0 (अ0सू0)–24/2022-148/रा0 राँची, दिनांक-09-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड वि0स0स0 को उनके ज्ञाप संख्या–709/वि0स0, दिनांक–27.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय (मुख्य) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2022
सरकार के अवर सचिव।

(135)

**श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सा0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–49 का उत्तर प्रतिवेदनः–**

| क्र0 | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | श्री अमित कुमार मंडल माननीय सा0वि0स0 | | माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि तृतीय अनुपूरक वर्ष 2021–22 में अनुबंध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु वेतन एवं भत्ते के लिए अनुदान की मांग की गई थी; | | स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2021–22 में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से अनुबंध/बाह्य स्रोत पर अमीन अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृहरक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता हेतु पारिश्रमिक भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि अमीन राजस्व कर्मचारी जैसे पदों के लिए स्थायी नौकरी का प्रावधान अन्य राज्यों में किया गया है; | | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत् ऐसे सभी कर्मियों पर आरक्षण नीति, स्थानीय नीति (नियोजन नीति) लागू नहीं होता है; | | स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य भर में सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों की सूची विभाग उपलब्ध कराकर खंड–3 के आलोक में स्थायी नियुक्ति करने का प्रावधान रखना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | | आउटसोर्सिंग कर्मियों की स्थायी नियुक्ति के संदर्भ में राज्य स्तर पर ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**
**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग**

ज्ञापांक–3/अ0क्षे0स्था0(वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न)–28/2022 820 /रा0 राँची, दिनांक–10-03-2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0प्र0–1016/वि0स0, दिनांक–06.03.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/2022
सरकार के उप सचिव।

F:Revenue/Vidhansabha Ques. /All Ques./ teresa

**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–38 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि राज्य में कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से बचाव के लिए सभी जिला मुख्यालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है ; | स्वीकारात्मक।<br>राज्य में सभी जिलों में विभिन्न मद से कुल 95 ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है, कि सभी ऑक्सीजन प्लान्ट चलाने के लिए प्रशिक्षित टेक्नीशियन की नियुक्ति की जानी है ; | सभी जिलों में अधिष्ठापित ऑक्सीजन प्लान्ट के संचालन एवं रख–रखाव हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसपर यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी जिला मुख्यालय में ऑक्सीजन प्लांट को चालु करके उसमें प्रशिक्षित टेक्नीशियन की नियुक्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**
**स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–07/2022–48(21) राँची, दिनांक– 10-3-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 891 वि0स0 दिनांक 03.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–07/2022–48(21) राँची, दिनांक– 10-3-2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची, प्रशाखा–17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

(137)

**श्री विरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर सामग्री।**

| क्रमांक | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित झारखंड में करीब 30 हजार अधिवक्ता कार्यरत है, जिन्हें सरकार द्वारा कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है व न ही विगत 2 वर्षों में किसी तरह का फंड विभाग द्वारा अधिवक्ताओं के लिए आवंटित किया गया है; | :– :– | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विधि विभागीय अधिसूचना संख्या–06/लेज दिनांक–04.02.2013 द्वारा अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 अधिसूचित है। उक्त अधिनियम के अध्याय–2 की धारा–3 के अंतर्गत अधिवक्ता कल्याण निधि गठित करने का प्रावधान है। विधि विभाग द्वारा किसी भी रूप में अधिवक्ताओं के लिए निधि/फंड का आवंटन झारखंड स्टेट बार काउंसिल को नहीं किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप तैयार कर अपनी जनरल बोडिंग मीटिंग में इसे पास करा कर वर्ष, 2019 में इसे सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा है, जो विभाग के पास वर्षों से लंबित है ओर अब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की दिशा में कोई ठेस कार्य नहीं किया गया है एवं प्रस्तावित एक्ट में अधिवक्ताओं को धमकी देने और मारपीट करने को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है; | :– | अस्वीकारात्मक। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पत्रांक–855/2022 दिनांक–08.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित प्रारूप तैयार कर झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा पत्रांक–3522/2021 दिनांक–25.10.2021 के माध्यम से माननीय राज्यपाल को एवं पत्रांक–2161/2018 दिनांक–27.11.2018 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। सम्प्रति उक्त से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग को प्राप्त नहीं है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि विगत 1–2 वर्ष के अंदर राजधानी में अधिवक्ता मनोज झा और राम प्रवेश सिंह एवं जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव की हत्या अपराधियों ने कर दी है; | :– | स्वीकारात्मक। (महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखंड, राँची के पत्रांक–426/ए0 दिनांक–10.03.2022 के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार) |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के करीब 30 हजार अधिवक्ताओं और उनके परिवार के हित में यथाशीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | :– | कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**विधि विभाग**

ज्ञापांक–ए0/विधि–वि0स0प्र0–09/2022–480/जे0 राँची, दिनांक–10 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–482/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

10/03/2022
(नलिन कुमार)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखण्ड, राँची।

138

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – अ०सू०–03 का उत्तर सामग्री।

| क्र० | प्रश्नकर्त्ता<br>श्री विनोद कुमार सिंह,<br>माननीय सदस्य, विधान सभा। | उत्तरदाता<br>सत्यानन्द भोक्ता<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,<br>झारखण्ड सरकार। |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों का राज्य से बाहर मृत्यु होने पर शव लाने हेतु आर्थिक सहयोग का प्रावधान किया है; | उत्तर–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।<br>"अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना" में संशोधन प्रक्रियाधीन है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु जिला स्तर पर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी हुआ है, जिससे प्रवासी मजदूरों के शव घर तक आने में विलम्ब होता है; | उत्तर–आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।<br>"अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना" में संशोधन प्रक्रियाधीन है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रावधान के आलोक में अग्रिम भुगतान हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? | उपरोक्त खण्डों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

09/03/2022
(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–06 / 2022श्र0नि0– 418 राँची, दिनांक–09/03/22

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–120, दिनांक–17.02.2022 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/2022
सरकार के अवर सचिव।

**श्री राजेश कच्छप, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–30 का प्रश्नोत्तर।** (139)

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **श्री राजेश कच्छप, म०स०वि०स०** | **माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।** |
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में 1894 की L.A. Act वर्ष–2013 में ही Repeal कर दी गई; | स्वीकारात्मक। वर्ष 2013 से राज्य में भू–अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 प्रभावी है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित L.A. Act के स्थान लारा अधिनियम –2013 ले चुकी है जो राज्य में लागू है; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Act में पुराने अर्थात वर्ष–2013 से पूर्व के विस्थापितों/ प्रभावितों की भूमि वापसी समेत अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित राज्य सरकार को Act बनाने अधिकार दिया गया है; | वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–25.07.2008 से राज्य में झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 लागू है जिसके अंतर्गत L.A. Act 1894 से विस्थापित रैयतों के पुनर्वास हेतु प्रावधान किये गये है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित Laara Act 2013 के तहत् पुराने विस्थापितों के भूमि वापसी समेत अन्य समस्याओं को प्रविष्ट कर अधिनियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

**झारखण्ड सरकार**
**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।**

ज्ञापांक:–02बी०/भू०अ०नि०(वि०स०)अ०सू० –13/2022....177/रा०....राँची, दिनांक–08-03-2022

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप सं0–562/वि0स0, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/22
सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 119 (SOHAN)

(140)

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–11.3.2022 को सदन में पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–36 का उत्तर प्रतिवेदनः–

| क्र0 सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–37 (4) दिनांक–20.11.2021 के अनुसार प्रत्येक निजी अस्पताल के द्वारा अपने मरीजों के लिए रक्त की मॉग के अनुसार रक्त शिविरों का आयोजन कर संलग्न रक्त केन्द्र के सहयोग से रक्त संग्रह नियमित रूप से करना अनिवार्य होगा तथा निजी अस्पताल के द्वारा अगर रक्तदान शिविर नहीं लगाया जाता है तो कालान्तर में उक्त अस्पताल को रक्त नही देने संबंधी निर्णय पर विचार किया जा सकता है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के अधिकांश निजी अस्पतालों द्वारा रक्त संग्रह हेतु रक्त शिविर का आयोजन नहीं किया जाता है ; | वस्तुस्थिति यह है कि National Blood Transfusion Council एवं State Blood Transfusion Council के निर्णय के अनुसार मरीजों को बिना Replacement ब्लड उपलब्ध कराने हेतु निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को तत्काल रक्त उपलब्ध कराया जा सके। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि रक्त शिविर आयोजित नहीं करने वालों द्वारा अस्पताल मरीजों से रक्तदाता का जुगाड़ करने के लिए कहा जाता है, जब कि राष्ट्रीय रक्त नीति के अनुसार ऐसा करने की मनाही है ; | स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने तथा रक्त संग्रह बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुपालन में अस्पतालों द्वारा तथा संस्थाओं को अधिक–से–अधिक रक्तदान शिविर हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि आवश्यकतानुसार मरीजों को संबंधित अस्पताल के द्वारा रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा सके।<br>इसके अलावा, विभिन्न अस्पतालों के द्वारा सरकारी रक्त केन्द्रों से रक्त प्राप्त कर मरीजों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।<br>आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अधीन निजी अस्पतालों/नर्सिंग होम में चिकित्साधीन मरीजों के उपचार हेतु सरकारी रक्त केन्द्र से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि राज्य के किन–किन निजी अस्पतालों ने कब–कब रक्तदान शिविर लगाया है और जिन निजी अस्पतालों ने रक्तदान शिविर नही लगाया है, उनके विरूद्ध सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | माह नवम्बर, 2021 से माह जनवरी, 2022 तक रक्त केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदन सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है।<br>विभागीय संकल्प सं0–37(4) दिनांक– 20.11.2021 की कंडिका–2(V) के अनुसार निजी अस्पताल द्वारा अगर रक्तदान शिविर नहीं लगाया जाता है, तो कालान्तर में ऐसे अस्पताल को रक्त नहीं देने संबंधी निर्णय पर विचार किए जाने का प्रावधान है, जिसके आलोक में कालक्रम में आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी। |

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0 (अ0सू0प्र0)–09–06/2022 36(4) राँची, दिनांक–10.03.2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–782 वि0 स0, राँची, दिनांक–01.03.2022 के प्रसंग में 220 प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/22

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं० : 04/वि0 स0 (अ0सू0प्र0)–09–06/2022 36(4) राँची, दिनांक–10.03.2022

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/03/22

सरकार के अवर सचिव

**PERIOD: NOVEMBER 2021 TO JANUARY 2022**

**Compiled Report from Blood Centres**

| | Name of Blood Centre | Name of Hospital | Units Collected | No. of Camps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOOD CENTRE, ASIAN DWARKADAS JALAN HOSPITAL, DHANBAD | | | |
| | | Adison Hospital, Mahjid Road, Bagodar | 10 | 1 |
| | | Apna Nursing Home, Sahebganj Road, Govindpur | 16 | 1 |
| 2 | BLOOD CENTRE, PMCH, DHANBAD | | | |
| | | SADHANA HOSPITAL | 14 | 1 |
| 3 | BLOOD CENTRE, JAMSHEDPUR | | | |
| | | TATA MAIN HOSPITAL | 1255 | |
| | | TATAMOTORS HOSPITAL | 3152 | |
| | | TCIL | 441 | |
| 4 | BLOOD CENTRE, SADAR HOSPITAL, PALAMU | | | |
| | | GANGA HOSPITAL REDMA DTO. | 13 | 1 |
| 5 | BLOOD CENTRE, SINGHPUR NURSING HOME, MURI, RAMGARH | | | |
| | | Swarnrekha Hospital | 31 | 1 |
| | | Singhpur Nursing Home, Muri | 12 | 1 |
| 6 | BLOOD CENTRE, RAJ HOSPITAL, RANCHI | | | |
| | | Raj Hospital | 52 | 3 |
| 7 | BLOOD CENTRE, RINCHI TRUST HOSPITAL, RANCHI | | | |
| | | Rinchi Trust Hospital | 41 | 6 |
| 8 | BLOOD CENTRE, MAA RAM PYARI HOSPITAL, RANCHI | | | |
| | | PULSE SUPER SPECILITY HOSPITAL | 10 | 1 |
| 9 | BLOOD CENTRE, DEVKAMAL HOSPITAL, RANCHI | | | |
| | | Devkamal Hospital | 26 | 4 |
| 10 | BLOOD CENTRE, NAGARMAL MODI SEVA SADAN HOSPITAL, RANCHI | | | |
| | | NAGARMAL MODI SEVA SADAN | 27 | 8 |
| | | ORCHID MEDICAL CENTRE | 15 | 1 |
| | | SAWRAJ HEALTHCARE | 11 | 1 |
| 11 | BLOOD CENTRE, RIMS, RANCHI | | | |
| | | RJSP Cancer Hospital Research & Rehabilitation Centre | 15 | 1 |
| | | Harmu Hospital & Research Centre | 23 | 1 |
| 12 | BLOOD CENTRE, BRAMHANAND NARAYANA, SARAIKELA | | | |
| | | Brahmananda Narayana Hospital | 525 | 17 |
| 13 | BLOOD CENTRE, SADAR HOSPITAL, SARAIKELA KHARSAWAN | | | |

Addl. Project Director
JSACS, Ranchi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Madhusudan Clinic | 4 | 1 |
| 14 | BLOOD CENTRE, SHANTI BHAWAN, SIMDEGA | | | |
| | | SBMC,Biru | 80 | |

Addl. Project Director
JSACS, Ranchi

(141)

## श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0स0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि बोकारों सहित राज्य में सस्ती जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता और इनके उपयोग हेतु प्रचार प्रसार काफी कम है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखण्डों में जेनेरिक दवाओं की एक भी दुकान अवस्थित नहीं है, जिस कारण प्रखण्ड में निवास करने वाले लोगों को दवाओं के लिए जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है और वर्तमान समय में कोविड–19 माहामारी के वक्त सुदूर ग्राम वासियों को दवाईयों लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ; | अस्वीकारात्मक।<br>औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं विनिर्मित नियमावली, 1945 में दवा के क्रय–विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान है, परन्तु "जेनेरिक दवा" के विक्रय के लिए अलग से अनुज्ञप्ति निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। वर्त्तमान में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–2070(D) दिनांक–21.10.2021 के आलोक में राज्य अन्तर्गत सभी पंचायतों में दवा दुकानों की स्थापना की जानी है, जिनमें जेनेरिक दवा की उपलब्धता भी होगी। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि वैसे दवा जिसके लिए फार्मासिस्ट की उपस्थिति जरूरी नहीं है, वैसे के लिए प्रपत्र 20ए0 और 21ए0 में ड्रग लाईसेंस दिया जा सकता है तथा राज्य के प्रत्येक पंचायत (4402) में एक औषधि बिक्रय केन्द्र की आवश्यकता है; | स्वीकारात्मक।<br>वैसे दवा जिसके लिए फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, वैसे औषधि के लिए प्रपत्र 20ए और 21ए में ड्रग लाईसेंस निर्गत किया जा सकता है। हरेक पंचायत में दवा दुकान खोलना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके आलोक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–2070(D) दिनांक–21.10.2021 निर्गत किया गया है, जिसका प्रचार–प्रसार राज्य के सभी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से किया गया है। वर्त्तमान में सभी पंचायतों में दवा दुकान की स्थापना की प्रक्रिया प्रगति पर है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक स्वास्थ्य हित में राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक जेनेरिक दवा दुकान और प्रत्येक पंचायत में एक औषधि बिक्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,**

ज्ञापांक–16/औषधि (अ0सू0)–06–01/2022 – 62(16) स्वा/राँची, दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–476 दिनांक–25.02.2022 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/22

सरकार के उप सचिव।

*Vikash*

(142)

डा० **श्री इरफान अंसारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि आपातकालीन स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधा के दृष्टिगत प्रखण्ड स्तर पर एक–एक एम्बुलेंस 108 अन्तर्गत उलब्ध कराया गया है ; | वर्त्तमान में पूरे राज्य में 287 BLS एवं 50 ALS एम्बुलेंस की सेवा 108 के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही है।<br>सभी BLS सामान्यतः प्रखण्ड स्तर पर एवं ALS जिला स्तर पर अस्पताल एवं अन्य केन्द्रों पर उपलब्ध रहते है। 108 के तहत् कार्यरत एम्बुलेंस की सेवा प्रखण्ड/जिला की सीमा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आवश्यकतानुसार किसी भी एम्बुलेंस की सेवा प्रखण्ड/जिला की सीमा के बाहर भी ली जा सकती है। |
| 2. | क्या यह बात सही है, कि प्रखण्डों से एक से अधिक कॉल 108 में किए जाने की स्थिति में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण रोगियों के परिजनों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है एवं कई दृष्टांत ऐसे भी है कि जिसमें रोगियों की मृत्यु भी हुई है ; | सभी जिले में 108 एम्बुलेंस के अतिरिक्त अन्य श्रोत से क्रय किये गये अन्य एम्बुलेंस भी कार्यरत है। आवश्यकतानुसार इन एम्बुलेंस की सेवा भी नागरिकों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त दूरगामी क्षेत्रों के लिए वित्तीय वर्ष–2021–22 में 175 बाइक एम्बुलेंस स्वीकृत है जो प्रक्रियाधीन है।<br>वित्तीय वर्ष 2020–21 में 117 नए एम्बुलेंस एवं वित्तीय वर्ष–2021–22 में 89 नए एम्बुलेंस, कुल–206 नए एम्बुलेंस का क्रय 108 की सेवा को सुदृढ़ करने के लिए प्रक्रियाधीन है।<br>नागरिकों को एम्बुलेंस की बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में प्रत्येक प्रखण्ड में एम्बुलेंस की संख्या को उचित संख्या में बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है। |

**झारखण्ड सरकार**
**स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–04/2022...–49(21) रॉंची, दिनांक–10-3-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके पत्रांक 469 वि0स0 दिनांक 25.02.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 9/3/2022
सरकार के अपर सचिव

143

**श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–11.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्रं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | यह बात सही है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू चिकित्सा व्यवस्था ना होने के कारण सरकारी अस्पताल ही लोगों के लिए चिकित्सा का एक मात्र साधन है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | यह बात सही है कि वर्ष 2020 में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी की गयी थी तथा दोबारा कर्मियों की बहाली नहीं की गयी है ; | आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।<br>नियमित स्वीकृत बल की रिक्ति के विरूद्ध वर्ष 2020 में आउटसोर्स कर्मियों की संख्या अधिक होने के कारण (विभागीय निदेश सं०–646(6), दिनांक–15.09.2020 के आलोक में) आउटसोर्स कर्मियों की छटनी की गई है। पद रिक्त नहीं रहने के कारण दोबारा कर्मियों की बहाली नहीं की गयी। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि कर्मियों की छंटनी हो जाने से अस्पताल के कार्य प्रभावित हो रहे है ; | अस्वीकारात्मक। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कम से कम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पुनः कर्मियों की बहाली करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ? | राज्य के 134 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु चिकित्सक एवं पारा मेडिकल के 1980 पदों का सृजन का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति को भेजा गया है। पद सृजन के पश्चात् इन पदों के विरूद्ध नियमित नियुक्ति/संविदा/आउटसोर्स पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। |

**झारखंड सरकार**

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-11/2022 – 151(15) राँची, दिनांक– 09-03-2022

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–470 वि०स० दिनांक–25-02-2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.03.2022

सरकार के संयुक्त सचिव

144

**डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-11.03.2022 को सदन में पूछा जाने वाला**
**अल्प सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-12 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि, राँची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) राज्य का सबसे बड़ा चिकित्सकीय संस्थान है, जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग सभी विभागों के विशेषज्ञों के द्वारा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए आश्रित हैं ; | स्वीकारात्मक।<br>राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) राज्य का सबसे बड़ा Tertiary Care Superspeciality Hospital रेफरल संस्थान है, जो झारखण्ड ही नहीं निकटवर्ती राज्यों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं अन्य वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है। |
| 2. क्या यह बात सही है, कि राँची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में कुछ ऐसे विभाग, जैसे न्यूरो सर्जरी, औषधि, सर्जरी आदि में बेड के अभाव में मरीज को जमीन पर चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है ; | बेड की कमी के कारण मरीजों के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव स्थानीय व्यवस्था करते हुए ईलाज करना पड़ता है। रिम्स प्रशासन द्वारा उन्हें यथा सम्भव समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। |
| 3. क्या यह बात सही है कि बेडों की संख्या नेशनल मेडिकल काउंसिल के मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जो खण्ड-2 में वर्णित विभागों में अत्यधिक मरीज होने के कारण अपर्याप्त होते हैं ; | स्वीकारात्मक । |
| 4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दूर दराज से आए रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु खण्ड-2 में वर्णित विभागों का रिम्स के पृथक हृदय रोग विभाग के तर्ज पर आधारभूत संरचना एवं आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था से सुसज्जित पृथक विभाग बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | रिम्स में बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए एवं उनको गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए अंतःरोगी विभाग ब्लॉक, बाह्य रोगी विभाग ब्लॉक, मातृ शिशु ब्लॉक एवं अन्य सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रस्तावित होकर प्रगति पर है। |
| | |

**झारखण्ड सरकार**
**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञापांकः-11/रिम्स (वि0स0)-05-03/2022 64 (11) स्वा0/राँची/दिनांक :-08/3/2022

**प्रतिलिपिः**-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-473/वि0स0 दिनांक-24.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.22
सरकार के अवर सचिव।